

वाड संख्या 245/2018

निर्णय दिनांक 29.4.2019

1. राजपाल पुत्र श्योलाल
2. रामा पत्नी श्योलाल
3. प्रभाती
4. चर्मा
5. सवित्री

पुत्रिया श्योलाल

जाति जाट निवासी ठिमाऊ चौरी तहसील
राजगढ़ जिला हरु

- वकीलगण

बनाम

1. जलै सिंह
2. चर्मपाल
3. रतनसिंह
4. सुभाष चन्द्र

पुत्रगण हनुमान

5. इन्दो पुत्री चन्दगीराम
6. चिडिया पत्नी चन्दगीराम
7. चर्मावीर
8. सुमेर

पुत्रगण चन्दगीराम

- जाति समस्त जाट निवासी ठिमाऊ चौरी तहसील राजगढ़ जिला हरु
9. तहसीलदार राजगढ़ जिला हरु
10. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा पिलानी जिला झुन्झुड़

- प्रतिवादीगण

11. बनवारी
12. मैवासिंह

पुत्र श्योलाल
जिला हरु

जाति जाट निवासी ठिमाऊ चौरी तहसील राजगढ़

- जौण प्रतिवादीगण

समेकित वाड संख्या 283/2018

निर्णय दिनांक 29.4.2019

बनाम

1. इन्द्रो पुत्री चन्दगीराम
2. सिद्धिमा पत्नी चन्दगीराम
3. जलसिंह
4. चर्मपाल } पुत्रगण हनुमान
5. चर्मवीरपुत्र चन्दगीराम
6. चर्मा पुत्री शमोलाल
7. प्रभाती
8. बनवारी
9. मैवासिंह } पुत्रगण शमोलाल
10. राजपाल
11. रामा पत्नी शमोलाल
12. सुभाष-चन्द्र पुत्र हनुमान
13. सुमेर पुत्र चन्दगीराम
14. सावित्री पुत्री शमोलाल
15. तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला झरक

जाति रतनसिंह जाट निवासी ठिमाऊ छोटी तहसील राजगढ़ जिला झरक

- प्रतिवादीगण

दावा खाता विभाजन अन्वयित-धारा 53 R.T. Act.

उपस्थित:-

1. श्री मनोजपचार अचिवमता वास्ते वादीगण वाड संख्या 245/18
2. " रोहताब महला अचिवमता वास्ते प्रतिवादीगण
3. " बलवान शर्मा अचिवमता वास्ते वादी वाड संख्या 283/18
4. पंरीकारराज



निर्णय

इस न्यायालय द्वारा इस वाद में पारित प्राथमिक निर्णय डिक्ली कीपालना में तहसीलदार राजगढ़ जिला झरक से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिस पर पक्षकारान को सुना गया। किसी पक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश नहीं की। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान का निम्न प्रकार

से खाता विभाजन किया जाता है।

(1) रामा पत्नी शमोलाल बनवारी राजपाल मेवासिंह प्रभाती चर्मा सावित्री पुत्र-पुत्रियां शमोलाल व. हि. व. जाति जाट निवासी डिमाऊ छोटी खातेदार के एक हिस्सा में खण नं० 224 रकबा 0.96 ईं, खण नं० 336 रकबा 0.06 ईं, खण नं० 111 मी० रकबा 0.21 ईं, खण नं० 25 मी० रकबा 0.40 ईं, खण नं० 26 मी० रकबा 2.20 ईं कित्ता 5 कुल रकबा 3.83 ईं का उत्तम लगान 19.15 वाने रोही डिमाऊ छोटी तहसील राजगढ़ जिला झरु नक्शा विभाजन प्रस्ताव में बंशाल से दर्शाए अनुसार रहेगी।

2. चर्मापाल रतनसिंह सुभाषचंद्र पि० हनुमान 3/4 ईं व. हि. व. राहिन जलसिंह पुत्र हनुमान 1/4 ईं मूर्तेहीन वी. एन. बी. शाखा पिलानी जाति जाट निवासी डिमाऊ छोटी खातेदार के एक हिस्सा में खण नं० 111 मी० रकबा 0.25 ईं खण नं० 7 मी० रकबा 0.55 ईं खण नं० 108 मी० रकबा 1.14 ईं खण नं० 112 रकबा 0.51 ईं खण नं० 26 मी० रकबा 1.43 ईं कित्ता 5 कुल रकबा 3.83 ईं का उत्तम लगान 19.15 वाने रोही डिमाऊ छोटी तहसील राजगढ़ जिला झरु नक्शा विभाजन प्रस्ताव में बरंग हरा से दर्शाए अनुसार रहेगी।

3. चिड़िया पत्नी चन्द्रगीराम चर्मावीर सुमेर इन्द्रो पुत्र पुत्री चन्द्रगीराम व. हि. व. जाति जाट निवासी डिमाऊ छोटी खातेदार के एक हिस्सा में खण नं० 7 मी० रकबा 0.57 ईं खण नं० 25 मी० रकबा 0.13 ईं खण नं० 26 मी० 1.14 ईं खण नं० 72 रकबा 0.25 ईं खण नं० 111 मी० रकबा 0.10 ईं खण नं० 108 मी० रकबा 1.64 ईं कित्ता 6 कुल रकबा 3.83 ईं का उत्तम लगान 19.15 वाने रोही डिमाऊ छोटी तहसील राजगढ़ जिला झरु नक्शा विभाजन प्रस्ताव में बरंग बेंगनी से दर्शाए अनुसार रहेगी।

4. रामा पत्नी शमोलाल बनवारी राजपाल मेवासिंह प्रभाती चर्मा सावित्री पुत्र-पुत्री शमोलाल 1/2 हिं व. हि. व. चिड़ियादेवी पत्नी चन्द्रगीराम चर्मावीर सुमेर इन्द्रो पि० चन्द्रगीराम 1/2 हिं व. हि. व. चर्मापाल रतनसिंह सुभाषचंद्र पि० हनुमान 1/4 व. हि. राहिन जलसिंह पुत्र हनुमान 1/2 हिं मूर्तेहीन वी. एन. बी. शाखा पिलानी जाति जाट निवासी डिमाऊ छोटी खातेदार के एक हिस्सा में खण नं० 26 मी० रकबा 0.4 ईं का उत्तम लगान 1.05 वाने रोही डिमाऊ छोटी तहसील राजगढ़ जिला झरु नक्शा विभाजन प्रस्ताव में बरंग कल्परई से दर्शाए अनुसार रहेगी। जो रास्ता की भूमि है।

जिन पञ्चकारान का हिस्सा बैंक के रहने हैं, वह प्रभाव रहने रहेगा।

देय मुद्रांक शुल्क अदा करने पर पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.4.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जा कर सेवे

